आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, राँची

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 32 आर० 15 /2023–24

03
05.09.2023

सुनील कुमार पिता स्व० राम बिलास झा निवासी फ्लैट सं० 12, यमुना अपार्टमेन्ट, कॉके रोड, थाना गोन्दा, जिला राँची .... प्रार्थी

बनाम

शिवराज साहु पिता स्व० चुन्नु साहु निवासी ग्राम होचर, पोस्ट एवं थाना कॉके, जिला राँची .... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 68 आर० 15/2011–12 मे दिनांक 08.07.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील की कार्यवाही समाप्त करने का आदेश पारित किया गया है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को पुनरीक्षण वाद को अंगीकृत करने की बिन्दु पर सुना। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद लगभग 43 माह 29 दिनों के पश्चात् दायर किया गया है। वाद को दायर करने मे हुए विलम्ब को क्षांत करने के निमित प्रार्थी के द्वारा धारा 5 समय क्षांति की धारा के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रार्थी को कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान नही है। उन्हे इस तथ्य की जानकारी नही थी कि उनके द्वारा दायर अपील वाद को रेस्टॉरेशन (वापसी) हेतु आवेदन 90 दिनों के अन्दर दायर किया जाना था, इसलिए विपक्षी के द्वारा ससमय आवेदन दाखिल नही किया जा सका ।

मौजा होचर, थाना कॉके, थाना सं० 158, जिला राँची के खाता सं० 31, प्लॉट सं० 240, कुल रकबा 44 डीसमिल मधे रकबा 38.67 डीसमिल भूमि सर्वे खतियान मे शेख कारी वल्द शेख नकु के नाम से

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

कायमी रैयती दर्ज है। खतियानी रैयत के वारिस सदागर अंसारी, बसारत अंसारी, मोसोमात जैबुन खातुन पिता स्व० शेख करीम, अब्दुल कादिर एंव विक्टोरिया खातुन दोनो पिता स्व० हबीब अंसारी, मो० जहीरूद्दीन अंसारी पिता स्व० मो० इसमाईल अंसारी ने उपरोक्त प्रश्नगत भूमि निबंधित पट्टा सं० 16286 दिनांक 16.07.2010 के द्वारा प्रार्थी सुनील कुमार का हस्तांतरित कर दिया। प्रार्थी सुनील कुमार ने उपरोक्त भूमि प्राप्त करने के उपरान्त उनके नामान्तरण हेतु अँचलाधिकारी कॉके के समक्ष दाखिल खारिज वाद सं० 4332 आर० 27/2011–12 दाखिल किया, जिसे विद्वान अँचल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी एवं अँचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर खारिज कर दिया। प्रश्नगत भूमि मौजा होचर, थाना कॉके, थाना सं०158, जिला रॉची के खाता सं० 31, प्लॉट सं० 240, कुल रकबा 44 डीसमिल मधे रकबा 38.67 डीसमिल से संबंधित है, जबकि अँचलाधिकारी ने हल्का कर्मचारी के द्वारा प्लॉट सं० 244 को विवादित दर्शाने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, रॉची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 68 आर० 15/2011–12 गुण–दोष के आधार पर खारिज नही किया गया है, अपितु उपरोक्त अपील वाद उनके द्वारा अदम पैरवी के अभाव मे खारिज किया गया है।

अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का ध्यान मे रखते हुए तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा पर बिना गुण दोष पर विचार किये यह पुनरीक्षण वाद स्वीकृत किया जाता है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 68 आर० 15/2011–12 मे दिनांक 08.07.2019 को निरस्त करते हुए उपरोक्त अपील को विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रस्तुत मामले मे गुण–दोष के आधार पर मुखर आदेश पारित करे। प्रार्थी को यह निदेश दिया जाता है कि वे उक्त अपील के निष्पादन मे पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे। यदि प्रार्थी/अपीलकर्त्ता लगातार

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	तीन तिथि तक अनुपस्थित रहते है तो उपरोक्त अपील वाद स्वतः खारिज समझा जाएगा। इस आदेश की प्रति उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करें। Rahul उपायुक्त राँची लेखापित एवं संशोधित Rahul उपायुक्त राँची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 02:04:43 -08:00
Location: 192.168.1.4